1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**आवास सहायता योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	अधिकतर निर्माण श्रमिक गरीब है परन्त बी0 पी0 एल0 सूची मे उनका नाम दर्ज नहीं होने से उनको आवास का लाभ नहीं मिलता, जबकि वस्तुतः वे पात्र होते हैं। इस योजना का उद्देश्य ऐसे श्रमिकों को आवास का हितलाभ दिलाना है।
4	पात्रता की अर्हता–	• पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार जिनके द्वारा नियमित रूप से दो वर्ष तक अंशदान जमा किया जा रहा हो। • परिवार जिसमे श्रमिक स्वयं, उसकी पत्नी, माता–पिता, 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र एवं अविवाहित पुत्री शामिल है, को एक इकाई के रूप मे लिया जायेगा। • लाभार्थी श्रमिक अथवा उसके परिवार का पक्का मकान न हो। • केन्द्र अथवा राज्य प्रायोजित किसी आवासीय योजना मे हितलाभ प्राप्त न किया हो। • लाभार्थी श्रमिक अथवा उसके परिवार के पास समुचित भूमि उपलब्ध हो। • कार्य एवं निवास एक ही जगह होने वाले श्रमिकों को वरीयता दी जायेगी। • सम्पूर्ण जीवनकाल मे एक ही बार सहायता दी जायेगी।
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वैब साईड	Upbocw.in
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।